UPLP010040042025

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं० 2 लखीमपुर खीरी
उपस्थित: मनोज कुमार सिंह– द्वितीय (एच०जे०एस०)
एस०टी० सं०–251/2025
रजि० सं०–667/2025
CNR No. UPLP01–004004–2025

राज्य उ०प्र० ---------------------------- अभियोजन पक्ष।

बनाम

राहुल अग्रवाल पुत्र शिवकुमार निवासी टिनिच, थाना गौर, जनपद बस्ती।
------------------ अभियुक्त।

मु०अ०सं०–125/2025
धारा–69 B.N.S.
थाना गोला, जिला खीरी।

निर्णय

1– प्रस्तुत मामले का विचारण थाना गोला जिला लखीमपुर खीरी की पुलिस द्वारा मु०अ०सं०–125/2025 में अभियुक्त राहुल अग्रवाल के विरूद्ध धारा–69 बी०एन०एस० में प्रस्तुत आरोप पत्र पर किया गया।

2– संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादिनी मुकदमा बृजेश कनौजिया पत्नी सुशील कुमार वर्मा जो मोहल्ला भारत भूषण कालोनी थाना गोला जनपद खीरी की निवासिनी है। वादिनी की पुत्री/पीड़िता जो एम०कॉम फाइनल कर चुकी है जिसका प्रेम सम्बन्ध राहुल अग्रवाल पुत्र शिवकुमार से करीब दो वर्ष से चल रहा है तथा वह शादी का झांसा बराबर देकर बात करता था। दिनांक 04–03–2025 को रात 10 बजे उसके घर आया था तथा उसके साथ बलात्कार किया। उस समय उसके पति ड्यूटी पर थे तथा वह अपने गांव मुरादपुर निवासी खेड़ा थाना खुटार जनपद शाहजहांपुर में थी। राहुल अग्रवाल जब उसकी पुत्री/पीड़िता के साथ शारीरिक सम्बन्ध बनाकर चला गया तो उसकी पुत्री की हालत खराब होने पर उसने अपने पापा को बताया तथा पति ने उसे फोन पर बताया, तब वह व उसके पति अपनी पुत्री/पीड़िता को 108 एम्बुलेंस से सी०एच०सी० गोला लेकर गयी, जहां पर उसका उपचार चला।

3– वादिनी मुकदमा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र/तहरीर के आधार पर सम्बन्धित थाने में दिनांक 05–03–2025 समय 07:08 बजे अभियुक्त राहुल अग्रवाल के विरूद्ध मु०अ०सं०–125/2025 अन्तर्गत धारा–69 बी०एन०एस० में मामला पंजीकृत किया गया।

4– विवेचक द्वारा दौरान विवेचना नकल रपट, प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखक का बयान तथा पीडिता का बयान अं०धारा 180 व 183 बी०एन०एस०एस० तथा वादिनी मुकदमा व अन्य गवाहान के बयानात अं०धारा–180 बी०एन०एस०एस० अंकित किये गया तथा पीडिता के मेडिकल प्रपत्र केस डायरी में अंकित करने के पश्चात वादिनी

मुकदमा की निशानदेही पर घटना स्थल का निरीक्षण करते हुए नक्शा नजरी तैयार की गयी। विवेचनोपरान्त प्राप्त किये गये साक्ष्य के आधार पर विवेचक द्वारा अभियुक्त राहुल अग्रवाल के विरूद्ध मु०अ०सं०–125/2025 में आरोप पत्र अन्तर्गत धारा–69 बी०एन०एस० के अन्तर्गत विचारण हेतु समक्ष न्यायालय प्रेषित किया गया।

5– उक्त आरोप पत्र पर दिनांक 14–05–2025 को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, लखीमपुर खीरी द्वारा प्रसंज्ञान लिया गया तथा मामला अनन्य रूप से सत्र परीक्षणीय पाते हुए दिनांक 16–05–2025 को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, लखीमपुर खीरी द्वारा अभियुक्त की पत्रावली सत्र सुपुर्द की गयी, जिसे सत्र परीक्षण सं0–251/2025 के रूप में दर्ज किया गया।

6– न्यायालय द्वारा दिनांक 23–06–2025 को मु०अ०सं० 125/2025 धारा–69 बी०एन०एस० में अभियुक्त राहुल अग्रवाल के विरूद्ध आरोप विरचित किया गया। विरचित आरोप को अभियुक्त को पढ़कर सुनाया व समझाया गया। अभियुक्त ने अपने विरूद्ध विरचित आरोप से इंकार करते हुए विचारण की मांग की।

7– अभियोजन पक्ष की ओर से अभियोजन कथानक को साबित करने के लिए मौखिक साक्ष्य के रूप में निम्नलिखित साक्षी परीक्षित कराये गये।

मौखिक साक्ष्य–

1. पी0 डब्लू0–1 पीड़िता
2. पी0 डब्लू0–2 हर्षित
3. पी0 डब्लू0–3 सुशील कुमार वर्मा
4. पी0 डब्लू0–4 यामिनी बादल
5. पी0 डब्लू0–5 कां० अनुज यादव
6. पी0 डब्लू0–6 एस०आई० राजन कुमार

8– अभियोजन की ओर से प्रलेखीय साक्ष्य के रूप में निम्नलिखित अभियोजन प्रपत्र साबित कराये गये।

प्रलेखीय साक्ष्य–

1. प्रदर्श क–1 तहरीर
2. प्रदर्श क–2 बयान अं० धारा 183 बी०एन०एस०एस०
3. प्रदर्श क–3 चिकित्सीय आख्या
4. प्रदर्श क–4 पूरक चिकित्सीय आख्या
5. प्रदर्श क–5 प्रथम सूचना रिपोर्ट
6. प्रदर्श क–6 कायमी जी०डी०
7. प्रदर्श क–7 नक्शा नजरी
8. प्रदर्श क–8 आरोप पत्र
9. प्रदर्श क–9 एफ०एस०एल० रिपोर्ट

9– अभियोजन पक्ष द्वारा दिनांक 05–02–2026 को साक्ष्य समाप्त किये जाने सम्बन्धी कथन आदेश पत्र के पृष्ठ पर अंकित किया गया।

10– अभियोजन साक्ष्य समाप्ति के उपरान्त अभियुक्त राहुल अग्रवाल का बयान

अन्तर्गत धारा 351 बी०एन०एस०एस० लेखबद्ध किया गया। अभियुक्त ने अपने बयान में अभियोजन कथानक को गलत बताया तथा साक्षी पी०डब्लू०-1 के बयान को गलत बताया। अभियुक्त ने साक्षी पी०डब्लू०-2 के बयान के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहने का कथन किया है। अभियुक्त ने साक्षी पी०डब्लू०-3 के बयान के सम्बन्ध में कथन किया कि घर आने वाली बात गलत है, शेष के बारे में कुछ नहीं कहना है। अभियुक्त ने साक्षी पी०डब्लू०-4 पी०डब्लू०-5 के बयान को गलत बताया। अभियुक्त ने साक्षी पी०डब्लू०-6 के बयान के सम्बन्ध में कथन किया कि गलत है, थाने पर बैठकर फर्जी विवेचना करके गलत आरोप पत्र प्रेषित किया। अभियुक्त ने अपने विरूद्ध मुकदमा चलने के सम्बन्ध में कथन किया कि उधारी वापस न करना पड़े इसलिए फर्जी मुकदमा लिखाया तथा अतिरिक्त कथन में कहा है कि उसे फर्जी फंसाया गया है, वह निर्दोष है। अभियुक्त ने सफाई साक्ष्य न दिये जाने का कथन किया है।

11- दिनांक 11-06-2026 को अभियुक्त का पुनः बयान अं० धारा 351 बी०एन०एस०एस० लेखबद्ध किया गया जिसमें साक्षी पी०डब्लू०-1 के बयान के सम्बन्ध में कथन किया कि गलत है, उसे इसकी कोई जानकारी नहीं है तथा प्रश्न सं०-2 के सम्बन्ध में कथन किया कि हम दोनो दोस्त थे, गोला में जहां पीड़िता रहती थी, वहां कभी नही गया। उसके गांव में उसकी बहन की सगाई में एक बार गया था। अभियुक्त ने एफ०एस०एल० रिपोर्ट के सम्बन्ध में कथन किया कि गलत है तथा अपने विरूद्ध मुकदमा चलने के सम्बन्ध में कथन किया कि लोगों के बहकावे के कारण तथा उसने एक लाख रूपये पीड़िता की मां को उधार दिया, उक्त उधारी से बचने के लिए मुकदमा कायम किया तथा अतिरिक्त कथन में कहा है कि उसे फर्जी फंसाया गया है, वह निर्दोष है। अभियुक्त ने सफाई साक्ष्य न दिये जाने का कथन किया है।

12- अभियोजन की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियोजन द्वारा अभियोजन कथानक को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित किया गया है। अभियोजन के सभी गवाहों ने अभियोजन कथानक का समर्थन किया है और अभियोजन प्रपत्रों की वैधानिकता को साबित किया। अतः अभियुक्त को दोषसिद्ध किया जाये।

13- बचावपक्ष की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियोजन पक्ष अपने साक्ष्यों से अभियोजन कथानक को साबित करने में पूरी तरह से असफल रहा हैं। वादिनी मुकदमा को पत्रावली पर पेश नहीं किया है, न ही ऐसा कोई गवाह पेश किया है जिसने घटना को अपनी आंखो से देखा हो। अभियोजन के गवाहान ने अभियोजन कथानक के विपरीत बयान दिया है तथा उनके बयान में विभिन्न विसंगतिया है। अभियोजन के किसी भी गवाह के साक्ष्य से यह साबित नहीं होता है कि अभियुक्त ने आरोपित अपराध कारित किया हो। उक्त परिस्थितियों में अभियुक्त को दोषमुक्त किया जाये।

14- अभियोजन की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी तथा अभियुक्त की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को सुना तथा पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया।

15- मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए निम्नलिखित

विनिश्चयात्मक बिन्दु विरचित किये गये–

1– क्या दिनांक 04–03–2025 को समय 22 बजे बहद स्थान घर पीडिता मो० भारत भूषण कालोनी थाना गोला, जिला खीरी में अभियुक्त राहुल अग्रवाल ने वादिनी मुकदमा की पुत्री/पीडिता के साथ छल कपट का प्रयोग करके यौन सम्बन्ध स्थापित किया ?

16– आपराधिक मामलें में विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि अभियुक्त के विरूद्ध विरचित आरोप में दोषसिद्ध करने हुतु आरोपित अपराध क संदेह से परे साबित करने का दायित्व अभियोजन पक्ष पर होता है।

17– **<u>निस्तारण विनिश्चयात्मक बिन्दु सं० 1</u>**

विनिश्चयात्मक बिन्दु सं० 1 इस आशय का विरचित किया गया है कि क्या दिनांक 04–03–2025 को समय 22 बजे बहद स्थान घर पीडिता मो० भारत भूषण कालोनी थाना गोला, जिला खीरी में अभियुक्त राहुल अग्रवाल ने वादिनी मुकदमा की पुत्री/पीडिता के साथ छल कपट का प्रयोग करके यौन सम्बन्ध स्थापित किया ?

18– अभियोजन की ओर से अभियोजन कथानक को साबित करने के लिए कुल 06 गवाह प्रस्तुत किये गये है–

19– अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्षी पी०डब्लू०–1 पीड़िता ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया कि उसकी व राहुल की दोस्ती फेसबुक से हुई थी। उसकी दोस्ती की जानकारी उसके घर वालों व उसके रिश्तेदारों में भी थी। उसकी बड़ी बहन मोनिका की शादी में राहुल अग्रवाल ने आर्थिक मदद की थी। उसकी मां के कहने पर लगभग एक लाख रूपये उधार दिये थे। राहुल अग्रवाल की शादी दिनांक 18–01–2025 को हो गयी थी। शादी की जानकारी उसे राहुल ने दी थी। लेकिन वह शादी में पहुँच नही पायी थी। इंस्ट्राग्राम पर उसने राहुल व उसकी पत्नी को बधाई दी थी। हम लोग अलग अलग बिरादरी के थे इसलिए उसके पापा ने शादी करने से मना कर दिया था। राहुल ने उससे पूछकर अपनी शादी की थी। राहुल अग्रवाल ने कभी शादी करने का वादा नहीं किया था, न ही उसके साथ कभी जबरदस्ती शारीरिक सम्बन्ध बनाये थे। दिनांक 04–03–2025 को उसने राहुल अग्रवाल को फोन करके अपने घर बुलाया था, उस समय उसके घर पर उसके मम्मी पापा भाई बहन नही थे, रात लगभग नौ बजे का समय था। वह अपने घर पर मोबाइल फोन देख रही थी, अचानक एक व्यक्ति उसके कमरे में घुस आया और कमरे की लाईट बन्द कर दी और उसके साथ जबरदस्ती करने लगा और धमकी दी कि अगर शोर मचाओगी तो तुम्हें जान से मार देंगे। उसके जबरदस्ती कपडे उतार दिये और उसके साथ जबरदस्ती सेक्स करने लगा। उसने उसके साथ बहुत तेजी से बलात्कार किया था, इस कारण उसके प्राइवेट पार्ट से काफी ब्लीडिंग होने लगी थी। उसके शोर मचाने पर वह अज्ञात व्यक्ति उसे छोड़कर भाग गया। रात के अंधेरे में वह उस व्यक्ति को पहचान नहीं पायी थी। उस व्यक्ति ने उसके साथ जबरदस्ती बलात्कार करते समय होठों पे काट लिया था। इस कारण उसके होठो में सूजन आ गयी थी। लगभग एक दो घण्टे के बाद उसके पापा घर पर आ गये थे। उसकी हालत खराब देखकर उसे अस्पताल गोला ले गये थे। राहुल उसे अस्पताल देखने गया था। अगले दिन

सुबह उसकी मां बृजेश कनौजिया अस्पताल आयी थी। उसकी मां ने लोगों के बहकावे में आकर राहुल अग्रवाल के विरूद्ध मुकदमा लिखवा दिया था। उसकी मम्मी ने स्वयं प्रार्थनापत्र लिखकर मुकदमा लिखाने हेतु थाने पर दिया था। वह अपनी मम्मी के हस्तलेख व हस्ताक्षर को जानती व पहचानती है। शामिल पत्रावली हस्तलिखित प्रा०पत्र कागज सं०–क4/4 दिखाया गया तो साक्षी ने कहा कि यह प्रा०पत्र उसकी मम्मी के हस्तलेख व हस्ताक्षर में है इस पर प्रदर्श क–1 डाला गया। उसकी मां की मृत्यु 14–05–2025 को हो चुकी है। पीड़िता का धारा 164 दं०प्र०सं० का सीलबन्द लिफाफा न्यायालय की अनुमति से खोला गया, शामिल पत्रावली किया गया। शामिल पत्रावली बयान पीड़िता को दिखाया व पढ़कर सुनाया गया। पीड़िता ने लगे उस पर फोटो व हस्ताक्षर को देखकर कहा कि यह बयान उसने मम्मी व पुलिस वालों के समझाने पर मजिस्ट्रेट साहब को दिया था, इस पर प्रदर्श क–2 डाला गया। राहुल अग्रवाल टिनिच गांव जिला बस्ती का रहने वाला है। राहुल को वह फेसबुक के माध्यम से घटना से पांच साल पहले से जानती है। राहुल से उसकी केवल दो तीन बार मुलाकात हुई। राहुल ने उससे कभी भी शादी का झांसा देकर उसके साथ बलात्कार नही किया।

20– अभियोजन की प्रार्थना पर उक्त गवाह को पक्षद्रोही घोषित करने के पश्चात अभियोजन द्वारा उक्त गवाह से की गयी जिरह में उक्त साक्षी का कथन है कि महिला सिपाही ने उसका कोई बयान नही लिया था। साक्षी को उसका धारा 161 दं०प्र०सं० का बयान पढ़कर सुनाया गया जिससे उसने इंकार किया। महिला सिपाही ने कैसे लिख लिया, वह इसकी कोई वजह नहीं बता सकती है। यह कहना गलत है कि राहुल अग्रवाल ने उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक सम्बन्ध बनाये हो। पीड़िता का उसका धारा 164 दं०प्र०सं० का बयान पढ़कर सुनाया गया तो पीड़िता ने कहा कि यह बयान उसने अपनी मां व दरोगा जी के समझाने पर मजिस्ट्रेट साहब को दिया था। यह बात सही है कि वह राहुल अग्रवाल को फेसबुक के माध्यम से जानती है और राहुल उसका फेसबुक फ्रेन्ड है। पुलिस ने उसकी डॉक्टरी परीक्षण कराया था। उसने जो मेडिकल के समय जो बयान डॉक्टर को दिया था वह पुलिस वालों व मां के कहने पर दिया था, ये बात भी सही है कि उसके साथ किसी अज्ञात व्यक्ति ने जबरदस्ती गलत काम किया था और उसके होठो को कांटा था। वह उसको पहचान नही पायी थी और न ही उसका नाम जानती है। यह कहना गलत है कि राहुल अग्रवाल फेसबुक मित्र है इसलिए आज वह न्यायालय में उसे बचाने के लिए झूंठी गवाही दे रही है।

21– न्यायालय द्वारा पुनः तलब किये जाने पर उक्त साक्षी ने सशपथ न्यायालय के प्रश्नों का उत्तर देते हुए कथन किया है कि उसकी मम्मी स्वर्गीय ब्रजेश कनौजिया ने इस मुकदमे की एफ.आई.आर. लिखवाई थी। उसकी मम्मी ने तहरीर स्वयं अपने हाथों से लिखकर दी थी। उसकी मम्मी दिमाग से ठीक थीं। उसकी मम्मी राहुल को जानती थीं। उसकी मम्मी यह जानती थीं कि उसकी और राहुल की अच्छी दोस्ती है, उसकी मम्मी राहुल से मिल चुकी थीं। उसकी मम्मी राहुल से किसी बात से नाराज़ नही थीं। उसकी मम्मी उसकी और राहुल की अलग जाति होने के कारण उनकी दोस्ती को पसंद नहीं करती थीं। मम्मी ही तहरीर थाने पर देने गई थीं। उसका बयान मजिस्ट्रेट

साहब के सामने हुआ था। उसने अपने बयान अंतर्गत धारा 183 बीएनएसएस में यह बताया था कि राहुल ने उसके साथ जबरदस्ती की थी। उसने अपने बयान में यह भी कहा था कि उसने अपने पापा को सारी बात बताई थी। वह पढ़ी–लिखी है, उसने एम. कॉम. किया है। वह इतनी बच्ची नहीं है कि उसे कोई बहका लेगा। वह धारा 183 बीएनएसएस का बयान देने अपने घर से आई थी। उसके साथ उसकी मम्मी भी आई थीं। उसकी मम्मी इंटर तक पढ़ी थीं। पुलिसकर्मी राजन ने उसकी मम्मी को बताया था कि मजिस्ट्रेट क्या क्या पूछ सकते हैं। उसकी मम्मी ने उससे यह कहा कि जैसा पुलिस वाले कह रहे हैं वैसा ही बयान देना। उसने मम्मी के कहने पर राहुल के खिलाफ झूठा बयान दिया इसलिए वह जेल गया। वह जानती थी कि उसकी मम्मी ने राहुल के खिलाफ झूठा मुकदमा किया है फिर भी उसने मजिस्ट्रेट के सामने झूठा बयान दिया था। उसकी और राहुल की दोस्ती फेसबुक से हुई थी। इस समय उसके पास राहुल से संबंधित फेसबुक पर की गई कोई बातचीत उपलब्ध नहीं है। वह राहुल से 9336517737 नंबर से बात करती थी।

22– इस प्रकार साक्षी पी०डब्लू०–1 जो कि प्रस्तुत प्रकरण में पीड़िता जोकि वादिनी की पुत्री है, उसने अपनी मुख्य परीक्षा में ही स्पष्ट रूप से कथन किया है कि राहुल अग्रवाल की शादी दिनांक 18–01–2025 को हो गयी थी जिसकी जानकारी उसे राहुल ने दी थी। इससे स्पष्ट है कि घटना के पूर्व पीड़िता को इस तथ्य की पूर्ण जानकारी थी। अभियुक्त की शादी हो चुकी है और अभियुक्त ने उससे शादी का वादा नही किया था। जैसाकि पी०डब्लू०–1 ने अपनी मुख्य परीक्षा में ही स्पष्ट रूप से बताया है कि अभियुक्त ने शादी का वादा करके उसके साथ कभी जबरन शारीरिक सम्बन्ध नहीं बनाये। उक्त साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा में यह भी स्पष्ट रूप से बताया है कि घटना के दिन उसके साथ किसी अज्ञात व्यक्ति ने जबरन शारीरिक सम्बन्ध बनाये जिससे उसके प्राइवेट पार्ट में ब्लीडिंग हुई थी और उसी ने उसके होठो पर भी चोट पहुचायी थी। उक्त साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा में यह भी स्पष्ट रूप से बताया है कि उसने मजिस्ट्रेट साहब के सामने जो बयान दिया था वह भी मां और पुलिस वालों के बताने पर दिया था, उसकी मां ने यह मुकदमा लोगों के बहकावे में आकर लिखा दिया था। पक्षद्रोही घोषित करने के बाद अभियोजन द्वारा की गयी जिरह में उक्त साक्षी ने स्पष्ट रूप से कथन किया है कि उसने धारा 161 दं०प्र०सं० (धारा 180 BNSS) का कोई बयान महिला सिपाही को नहीं दिया था तथा मजिस्ट्रेट साहब को जो बयान दिया वह भी मां और पुलिस के कहने पर दिया था, राहुल अग्रवाल ने उसके साथ कोई भी जबरन शारीरिक सम्बन्ध नहीं बनाये बल्कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने उसके साथ जबरन गलत काम किया था। न्यायालय द्वारा प्रश्न पूछे जाने पर उक्त साक्षी ने यह कथन किया है कि उसने मजिस्ट्रेट साहब को जो बयान दिया था, अपनी मां व पुलिस वालों के समझाने पर दिया था। इस प्रकार उक्त साक्षी के बयान से अभियोजन कथानक की पुष्टि नहीं होती है।

23– अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्षी पी०डब्लू०–2 हर्षित ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि घटना आज से लगभग छः महीने पहले की है। वह अपने घर पर नहीं था इसलिए उसे घटना की कोई जानकारी नही है। राहुल अग्रवाल

उसकी बहन का अच्छा दोस्त है। उसने उसकी बहन को शादी का झांसा कभी नहीं दिया और न ही उसकी बहन के साथ गलत काम किया।

24– अभियोजन की प्रार्थना पर उक्त गवाह को पक्षद्रोही घोषित करने के पश्चात अभियोजन द्वारा उक्त गवाह से की गयी जिरह में उक्त साक्षी का कथन है कि दरोगा जी ने उसका बयान नही लिया था। गवाह को उसका धारा 161 दं०प्र०सं० का बयान पढ़कर सुनाया गया तो उसने कहा कि उसने ऐसा कोई बयान दरोगा जी को नही दिया था, कैसे लिख लिया, वह उसकी वजह नहीं बता सकता है। यह कहना गलत है कि वह अभियुक्त से मिल जाने के कारण आज न्यायालय में सही बात न बता रहा हो। उसे यह पता है कि न्यायालय में झूंठी गवाही देने पर सजा हो सकती है।

25– बचावपक्ष की जिरह में उक्त साक्षी ने कथन किया कि उसकी बहन/पीड़िता की दोस्ती फेसबुक के माध्यम से राहुल अग्रवाल से हो गयी थी। इसकी जानकारी हम सभी लोगों को थी। उसकी बहन मोनिका की शादी में राहुल अग्रवाल ने आर्थिक मदद की थी। उसकी मां के कहने पर लगभग एक लाख रूपये नगद दिया था। राहुल अग्रवाल की शादी दिनांक 18–01–2025 को हो चुकी है। इसकी जानकारी उसकी बहन को थी। उसकी बहन ने ही उसे बताया था कि राहुल अग्रवाल की शादी हो चुकी है। राहुल अग्रवाल ने उसकी बहन को कभी भी शादी करने का झांसा नहीं दिया था और न ही शादी का झांसा देकर बलात्कार किया था। उसकी मां बृजेश कनौजिया ने लोगों के बहकावे में आकर राहुल अग्रवाल के खिलाफ उक्त मुकदमा लिखा दिया था। मुकदमा लिखाने का प्रा०पत्र मम्मी ने अपने हस्तलेख में दिया था, वह अपनी मम्मी के हस्तलेख को पहचानता है। उसकी मम्मी की मृत्यु हो चुकी है।

26– इस प्रकार उक्त साक्षी जो कि पीड़िता का भाई है, उसने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि राहुल अग्रवाल ने उसकी बहन को शादी का झांसा कभी नहीं दिया और न ही उसकी बहन के साथ कभी गलत काम किया। पक्षद्रोही घोषित करने के बाद अभियोजन द्वारा की गयी जिरह में उक्त साक्षी ने स्पष्ट रूप से कथन किया है कि उसने दरोगा जी को कोई बयान नही दिया था। बचावपक्ष द्वारा की गयी जिरह में उक्त साक्षी ने कथन किया है कि राहुल अग्रवाल ने उसकी बहन को कभी भी शादी करने का झांसा देकर बलात्कार नहीं किया था। उसकी मां ने लोगों के बहकावे में आकर अभियुक्त के खिलाफ मुकदमा लिखा दिया था। इस प्रकार उक्त साक्षी के साक्ष्य से अभियोजन कथानक की पुष्टि नहीं होती है।

27– अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्षी पी०डब्लू०–3 सुशील कुमार वर्मा ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया कि पीड़िता उसकी लड़की है। उसकी लड़की की दोस्ती राहुल अग्रवाल से हो गयी थी। राहुल अग्रवाल जनपद बस्ती का रहने वाला है। दिनांक 04–03–2025 को राहुल अग्रवाल उसके घर आया था। उसने उसकी लड़की को कोई शादी का झांसा नही दिया और न ही उसके साथ कोई गलत काम किया। राहुल अग्रवाल जब आया था तब वह गोला शुगर फैक्ट्री पर ड्यूटी पर था। जब वह वापस आया था तो राहुल अग्रवाल उसे नही मिला था। उसकी लड़की/पीड़िता ने उसे कोई घटना नहीं बतायी।

28— अभियोजन की प्रार्थना पर उक्त गवाह को पक्षद्रोही घोषित करने के पश्चात अभियोजन द्वारा उक्त गवाह से की गयी जिरह में उक्त साक्षी का कथन है कि दरोगा जी ने उसका कोई बयान नही लिया था। साक्षी को उसका धारा 161 दं०प्र०सं० का बयान पढ़कर सुनाया गया तो उसने कहा कि उसने ऐसा कोई बयान दरोगा जी को नही दिया था, कैसे लिख लिया, वह उसकी वजह नहीं बता सकता है। यह बात सही है कि उसकी लड़की व राहुल अच्छे दोस्त थे। यह कहना गलत है कि राहुल अग्रवाल ने उसकी पुत्री को शादी का झांसा देकर उसके साथ गलत काम किया हो। यह भी कहना गलत है कि अभियुक्त से सुलह हो जाने के कारण आज न्यायालय में झूंठी गवाही दे रहा है। उसे यह पता है कि न्यायालय में झूंठी गवाही देने पर सजा हो सकती है।

29— बचावपक्ष की जिरह में उक्त साक्षी ने कथन किया कि आज वह न्यायालय में अपनी स्वेच्छा से बिना किसी डर दबाव व लालच के गवाही दे रहा है। घटना वाले दिन व समय पर वह अपने घर पर नहीं था, वह अपनी ड्यूटी गया था। राहुल अग्रवाल की फेसबुक के माध्यम से उसकी बेटी/पीड़िता से दोस्ती हो गयी थी। इसकी जानकारी हम सभी लोगों को थी। बेटी मोनिका की शादी में राहुल ने आर्थिक मदद किया था। राहुल अग्रवाल की शादी दिनांक 18—01—2025 को हो चुकी है। इसकी जानकारी उसकी बेटी को है। राहुल अग्रवाल ने पीड़िता को कभी भी शादी का झांसा नही दिया और न ही उसने कभी गलत काम किया। लोगों के बहकावे में आकर उसकी पत्नी ने राहुल अग्रवाल के खिलाफ मुकदमा लिखवा दिया था। जब वह रात में ड्यूटी से वापस आया तो वह अपनी पुत्री को लेकर अस्पताल गया था। उसकी पुत्री ने घटना के बाबत उसे कोई बात नही बतायी थी।

30— इस प्रकार उक्त साक्षी पी०डब्लू०—3 जो कि पीड़िता का पिता है, उसने अपनी मुख्य परीक्षा में ही स्पष्ट रूप से कथन किया है कि राहुल अग्रवाल ने उसकी लड़की को कोई शादी का झांसा नहीं दिया और न ही उसके साथ कोई गलत काम किया। गवाह को पक्षद्रोही घोषित करने के बाद अभियोजन द्वारा की गयी जिरह में उक्त साक्षी का यह कथन है कि उसने दरोगा जी को कोई बयान नहीं दिया था। यह कहना गलत है कि अभियुक्त ने उसकी पुत्री को शादी का झांसा देकर उसके साथ गलत काम किया हो। बचावपक्ष द्वारा की गयी जिरह में उक्त साक्षी ने स्पष्ट रूप से कथन किया है कि अभियुक्त ने पीड़िता को कभी भी शादी का झांसा नही दिया और न ही उसके साथ कभी गलत काम किया। उसकी पत्नी ने लोगों के बहकावे में आकर अभियुक्त के खिलाफ मुकदमा लिखा दिया था। इस प्रकार उक्त साक्षी के साक्ष्य से अभियोजन कथानक की पुष्टि नहीं होती है।

31— अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्षी पी०डब्लू०—4 डॉ० यामिनी बादल ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया कि दिनांक 05—03—2025 को वह सामुदायिक स्वास्थय केन्द्र गोला में महिला चिकित्साधिकारी के पद पर कार्यरत थी। उसी दिन 02:45AM पर पीड़िता पुत्री सुशील कुमार वर्मा को महिला कां० कंचन त्रिपाठी लेकर आयी थी, पहचान की थी। पीडिता एवं पीडिता के पिता ने हस्ताक्षर करके मेडिकल परीक्षण कराने की सहमति दी थी। पीडिता ने अपना माहवारी आने की तारीख 27—02—

2025 बतायी थी। घटना के बारे में पीडिता ने बताया जिसे महिला कां० ने लिखा था जिस पर पीड़िता ने अपने हस्ताक्षर किये थे जिसे उसके द्वारा प्रमाणित किया गया था। घटना के समय पहने हुए कपड़े सील करके डी०एन०ए० जांच हेतु महिला कां० कंजन त्रिपाठी को सुपुर्द किया था। परीक्षण के दौरान नाडी की गति 80 प्रति मिनट, रक्तचाप 124/76, तापमान सामान्य, श्वसन दर सामान्य पायी गयी। पीड़िता के दाहिनी साइड के ऊपर के होठ पर सूजन एवं लालिमा पायी गयी। आन्तरिक परीक्षण में हाइमन पुराना फटा हुआ भरा हुआ था। 2x3mm deep vaginal tier वैजाइना के बायी तरफ पायी गयी जिसमें से रक्तस्राव हो रहा था जिसके उपचार के लिए पीड़िता को जिला महिला चिकित्सालय खीरी को संदर्भित किया गया। पीड़िता के सिर के 10–15 बाल, दोनों हाथों के नाखूनों की कतरन, मुख स्वाब, वैजाइनल व सर्वाइकल स्वाब व स्मीयर एवं खून की जांच का नमूना डी०एन०ए० जांच हेतु नमूना मोहर के साथ महिला कां० कंचन त्रिपाठी को सुपुर्द किया गया। पीड़िता को HIV, VDRL, HBsAG, UPT एवं अल्ट्रासाउण्ड के लिए जिला महिला चिकित्सालय खीरी को संदर्भित किया गया। शामिल पत्रावली मूल चिकित्सीय आख्या उसके लेख व हस्ताक्षर में है जिस पर प्रदर्श क–3 डाला गया। पूरक चिकित्सीय आख्या भी उसके द्वारा तैयार की गयी थी जिसमें पैथोलाजी रिपोर्ट में HIV, VDRL, HBsAG क्रमशः non–reactive पाया गया एवं UPT निगेटिव आया। अल्ट्रासाउण्ड की रिपोर्ट सामान्य थी। चिकित्सीय परीक्षण, पैथालाजी एवं अल्ट्रासाउण्ड की रिपोर्ट के आधार पर रीसेन्ट फोर्सफुल पेनीट्रेशन ऑफ वैजाइना के संकेत मिले। एफ०एस०एल० रिपोर्ट आने के बाद ही कोई निश्चित राय दी जा सकती है। शामिल पत्रावली पूरक चिकित्सीय आख्या उसके लेख व हस्ताक्षर में है इस पर प्रदर्श क–4 डाला गया।

32– बचावपक्ष की जिरह में उक्त साक्षी ने कथन किया कि पीड़िता ने अपनी उम्र 23 साल बतायी थी। पीड़िता ने बताया था कि वह एम०कॉम शिक्षित है। चिकित्सीय परीक्षण हेतु वह अपने पिता के साथ आयी थी। पीड़िता का मेडिकल उसके द्वारा किया गया था व उसकी रिपोर्ट भी उसके द्वारा तैयार किया गया था। पीड़िता की इंजरी व मेडिकल रिपोर्ट देखकर यह नहीं बताया जा सकता है कि किस विशेष व्यक्ति के द्वारा उसके साथ यह चोट पहुँचायी गयी या घटना कारित की गयी, इसकी सही जानकारी पीड़िता ही दे सकती है कि किस विशेष व्यक्ति के द्वारा यह किया गया। होठों पर पायी गयी लालिमा फ्रेश ही थी।

33– इस प्रकार उक्त साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा में स्पष्ट रूप से बताया है कि पीड़िता को कौन उसके पास लेकर आया था और शारीरिक परीक्षण के समय पीड़िता के शरीर की क्या स्थिति थी, पीड़िता के शरीर पर चिकित्सीय परीक्षण, पैथालाजी एवं अल्ट्रासाउण्ड की रिपोर्ट के आधार पर रीसेन्ट फोर्सफुल पेनीट्रेशन ऑफ वैजाइना के संकेत मिले थे। जिरह में उक्त साक्षी ने यह कथन किया है कि पीड़िता की इंजरी व मेडिकल रिपोर्ट देखकर यह नही बताया जा सकता कि किस व्यक्ति ने उसके साथ घटना कारित की। इस प्रकार पी०डब्लू०–4 के बयान से यह माना जा सकता है कि पीड़िता के साथ जबरन शारीरिक सम्बन्ध बनाया गया था परन्तु यह निषकर्ष नहीं निकाला जा

सकता कि अभियुक्त ने ही पीड़िता के साथ जबरन शारीरिक सम्बन्ध बनाया हो।

34– अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्षी पी०डब्लू०–5 कां० अनुज यादव ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया कि दिनांक 05–03–2025 को वह थाना गोला में कां० के पद पर तैनात था। उस दिन वादी मुकदमा की हस्तलिखित तहरीर व प्रभारी निरीक्षक के मौखिक आदेश पर मु०अ०सं० 125/2025 की चिक कम्प्यूटर पर अक्षरशः किता की गयी थी। शामिल पत्रावली कम्प्यूटरीकृत मूल चिक जिस पर प्रभारी निरीक्षक के हस्ताक्षर व थाने की मुहर लगी हुई है। जिस पर प्रदर्श क–5 डाला गया है। जी०डी० नं० 11 समय 07:08 बजे दिनांकित 05–03–2025 की कायमी कम्प्यूटर पर उसके द्वारा की गयी। शामिल पत्रावली कम्प्यूटरीकृत जी०डी० जिस पर थाने की मोहर व उसके हस्ताक्षर बने हुए है जिस पर प्रदर्श क–6 डाला गया है। विवेचक ने उसका बयान लिया था।

35– जिरह में उक्त साक्षी का कथन है कि दिनांक 05–03–2025 को वह कार्यालय पर मौजूद था। तहरीर पीड़िता के परिजन पिता जी लेकर आये थे। उसी पर मुकदमा कायम किया गया था। सुबह लगभग सात बजे तहरीर लेकर थाने पर आये थे। तहरीर लेने के तुरन्त बाद मुकदमा लिखा गया था। उक्त तहरीर की प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रभारी अधिकारी के मौखिक आदेश पर लिखी गयी थी। लगभग पांच–सात मिनट बाद जी०डी० किता कर दी गयी थी। एफ०आई०आर० की एक प्रति वादी मुकदमा पीड़िता के पिता को दी गयी थी। एफ०आई०आर० दर्ज होने के बाद तुरन्त एस०आई० राजन कुमार को विवेचना सौंप दी गयी थी। यह कहना गलत है कि पीड़िता के पिता द्वारा रिपोर्ट दर्ज करने के लिए कोई तहरीर न दी गयी हो। यह कहना सही है कि पीड़िता के पिता द्वारा दी गयी तहरीर पर ही मुकदमा दर्ज किया गया था। यह कहना गलत है कि उक्त मुकदमे की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने के लिए प्रभारी महोदय द्वारा मौखिक रूप से निर्देशित न किया गया हो।

36– इस प्रकार साक्षी पी०डब्लू०–5 ने अपनी मुख्य परीक्षा से चिक FIR प्रदर्श क–5 तथा कम्प्यूटरीकृत जी०डी० प्रदर्श क–6 की पुष्टि की है और जिरह में भी स्पष्ट रूप से बताया है कि पीड़िता के पिता उसके पास तहरीर लेकर आये थे जिसके आधार पर मुकदमा दर्ज किया था। परन्तु उक्त साक्षी के साक्ष्य से अभियोजन कथानक की सत्यता की पुष्टि नहीं होती है।

37– अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्षी पी०डब्लू०–6 एस०आई० राजन कुमार ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया कि दिनांक 05–03–2025 को वह थाना गोला में उपनिरीक्षक के पद पर तैनात था। उस दिन मु०अ०सं०–125/2025 धारा 69 BNS की विवेचना प्राप्त हुई। पर्चा नं०–1 में नकल प्रमाणपत्र, नकल कायमी की नकल केस डायरी की गयी। तत्पश्चात बयान एफ०आई०आर० लेखक कां अनुज यादव, बयान वादिनी मुकदमा की निशानदेही पर घटना स्थल का नक्शा नजरी बनाया गया जो शामिल पत्रावली उसके लेख व हस्ताक्षर में है जिस पर प्रदर्श क–7 डाला गया है। दिनांक 07–03–2025 को पर्चा नं०–2 में बयान पीड़िता 180 BNSS की नकल केस डायरी की गयी। तत्पश्चात पीड़िता का 183 BNSS करने को कहा गया लेकिन पीड़िता की तबियत

सही न होने के कारण बयान अंकित नही हो सका। दिनांक 11–03–2025 को पर्चा नं०–3 में पीड़िता की मेडिकल रिपोर्ट पैथालाजी रिपोर्ट प्राप्त हुई, अवलोकन कर नकल कर संलग्न केस डायरी किया गया। दिनांक 16–03–2025 को पर्चा नं०–4 में पीड़िता को जरिए फोन सूचित किया गया। कि 183 BNSS करने को कहा गया तो उसने बताया कि वह होली मनाने गांव गयी है। दिनांक 21–03–2025 को पर्चा नं०–5 में पीड़िता की हाईस्कूल प्रमाणपत्र प्राप्त हुआ, अवलोकन कर नकल कर संलग्न केस डायरी किया गया जिसमें पीड़िता की जन्मतिथि 02–06–2000 अंकित है। दिनांक 21–03–2025 को पर्चा नं०–6 में पीड़िता का धारा 183 BNSS माननीय न्यायालय की अनुमति से अवलोकन कर नकल केस डायरी किया गया। दिनांक 24–03–2025 को पर्चा नं०–7 में अभियुक्त राहुल अग्रवाल की गिरफ्तारी हेतु दबिश दी गयी लेकिन दस्तयाब नही हुआ। दिनांक 28–03–2025 को पर्चा नं०–8 में पीड़िता की सप्लीमेन्ट्री रिपोर्ट प्राप्त हुई, नकल अवलोकन कर संलग्न केस डायरी किया गया। पर्चा नं०–9, 10, 11, 12 में अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु दबिश दी गयी परन्तु दस्तयाब नही हुआ। दिनांक 12–04–2025 को पर्चा नं०–13 में अभियुक्त के मोबाइल नम्बर सी०डी०आर० का अवलोकन करने पर पता चला कि लोकेशन गौतमबुद्ध नगर का पाया जा रहा है। दिनांक 16–04–2025 को पर्चा नं०–14 में न्यायालय में अभियुक्त के विरूद्ध गिरफ्तारी हेतु वारण्ट जारी करने हेतु रिपोर्ट प्रेषित की गयी। पर्चा नं०–15, 16 में अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए गैर जमानती वारण्ट जारी करने हेतु रिपोर्ट प्रेषित की गयी। पर्चा नं०–17, 18, 19 में अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु दबिश दी गयी परन्तु दस्तयाब नही हुआ। दिनाकं 25–04–2025 को पर्चा नं०–20 नकल आदेश न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की नकल केस डायरी की गयी। दिनांक 28–04–2025 को पर्चा नं०–21 में अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु दबिश दी गयी, दस्तयाब नही हुआ। दिनांक 02–05–2025 को पर्चा नं०–22 बयान पीड़िता का भाई हर्षित वर्मा तथा बयान पीड़िता के पिता सुशील वर्मा अंकित किये। दिनांक 03–05–2025 को पर्चा नं०–23 में नामित अभियुक्त राहुल अग्रवाल के आत्मसमर्पण की सूचना प्राप्त होने हेतु जिला कारागार खीरी गया जहां पर अभियुक्त के बयान लेने हेतु जिला कारागार खीरी गया, जहां पर बयान अभियुक्त राहुल अग्रवाल अंकित किया। तत्पश्चात पीड़िता की डी०एन०ए० की दाखिला रिपोर्ट की रसीद प्राप्त हुई, अवलोकन कर नकल कर संलग्न केस डायरी किया गया। अब तक की तमामी विवेचना बयान वादिनी, बयान पीड़िता 180 व 183 बी०एन०एस०एस०, निरीक्षण घटना स्थल, मेडिकल रिपोर्ट व अन्य साक्ष्य संकलन के आधार पर अभियुक्त राहुल अग्रवाल पुत्र शिवकुमार निवासी टिनिच थाना गौर जनपद बस्ती के विरुद्ध जुर्म धारा 69 BNS का अपराध बखूबी साबित होने पर अभियुक्त का चालान जरिये आरोप पत्र सं०–198/25 न्यायालय प्रेषित किया गया। शामिल पत्रावली कम्प्यूटरीकृत मूल आरोप पत्र जिस पर उसके व प्रभारी निरीक्षक के हस्ताक्षर बने हुए है जिस पर प्रदर्श क–8 डाला गया है। दिनांक 02–02–2026 को थाना कार्यालय से मुकदमे से सम्बन्धित माल परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त हुई। पर्चा नं०–24 में विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट नकल कर संलग्न सी०डी० किया गया। शामिल पत्रावली विधि विज्ञान प्रयोगशाला रिपोर्ट दिनांकित

29–10–2025 जिस पर क्षेत्राधिकारी गोला का आदेश अंकित है उनके आदेश के अनुक्रम में पर्चा नं०–24 किता किया गया। शामिल पत्रावली विधि विज्ञान प्रयोगशाला रिपोर्ट पर प्रदर्श क–9 डाला गया है।

38– जिरह में उक्त गवाह ने कथन किया है कि दिनांक 05–03–2025 को उसके द्वारा इस मामले की विवेचना ग्रहण की गयी। उसके द्वारा पहला पर्चा उसी दिन थाना कोतवाली गोला में भरा गया था। पत्रावली में दाखिल तहरीर को देखकर साक्षी ने कहा कि इस पर किसी भी अधिकारी के द्वारा मुकदमा पंजीकृत करने लिखित अंकन नही किया गया, मौखिक रूप से लिया होगा। मौखिक आदेश एस०एच०ओ० गोला के द्वारा दिया गया था। पर्चा नं०–1 में उपरोक्त बात का उल्लेख किया गया था। इस मामले की पीड़िता एम०कॉम० शिक्षित 24 वर्षीय महिला थी। यह कहना गलत है कि दौरान विवेचना पीड़िता द्वारा कभी उसे यह कहा गया हो कि राहुल को झूंठा फंसाया गया हो। उसके द्वारा समयानुसार पर्चे काटे गये है। पत्रावली में दाखिल नक्शा नजरी में कोई दिनांक नहीं पड़ी है। यह कहन गलत है कि मुकदमे की सारी कार्यवाही थाने पर बैठकर की गयी हो। यह कहना गलत है कि मुकदमे की समस्त विवेचना एन्टी टाइम एन्टी डेट की यही हो। यह कहना गलत है कि इस मामले में निष्पक्ष विवेचना नहीं की गयी हो। यह कहना गलत है कि इस मामले में विवेचना स्तर पर अब कोई कार्यवाही शेष नही है।

39– इस प्रकार साक्षी पी०डब्लू०–6 विवेचक ने अपनी मुख्य परीक्षा में स्पष्ट रूप से बताया है कि किस पर्चे के अन्तर्गत क्या क्या कार्यवाही की, किन किन गवाहों के बयान लिये, किसके बयान के आधार पर नक्शा नजरी अंकित कराया तथा अभियुक्त के विरूद्ध प्रथम दृष्टया अपराध पाते हुए आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया। जिरह में भी उक्त गवाह ने स्पष्ट रूप से बताया है कि उसने कोई गलत विवेचना नही की है। थानाध्यक्ष के मौखिक आदेश पर मुकदमा पंजीकृत किया गया होगा। इस प्रकार उक्त साक्षी के साक्ष्य से प्रदर्श क–8 आरोप पत्र, प्रदर्श क–7 नक्शा नजरी तथा प्रदर्श क–9 एफ०एस०एस० रिपोर्ट की प्रमाणिकता की पुष्टि होती है। परन्तु उक्त साक्षी के साक्ष्य से अभियोजन कथानक की सत्यता की पुष्टि नहीं होती है।

40– प्रस्तुत प्रकरण में एफ०एस०एल० रिपोर्ट प्रदर्श क–9 पत्रावली पर दाखिल है जिसके अनुसार पेंटी, वेजाइनल सर्विकल स्लाइड दो तथा वेजाइनल सर्विकल स्वैब पर मानव रक्त पाया गया। पेंटी पर शुक्राणु/मानव वीर्य पाया गया। जिससे यह निष्कर्ष निकलता है कि पीड़िता के साथ किसी मानव ने जबरन शारीरिक सम्बन्ध बनाया था। परन्तु विवेचक द्वारा अभियुक्त के वीर्य का सैम्पल लेकर उसकी डी०एन०ए० रिपोर्ट तैयार किये जाने के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की गयी और न ही पीड़िता के प्राइवेट पार्ट पर पाये गये शुक्राणु/वीर्य की डी०एन०ए० रिपोर्ट प्राप्त पर उक्त दोनो डी०एन०ए० रिपोर्टों का मिलान कराने के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की गयी जो कि घोर आपत्तिजनक है। यदि विवेचक द्वारा उक्त कार्यवाही की गयी होती तो वैज्ञानिक परीक्षण से स्पष्ट पता चल जाता कि अभियुक्त ने पीड़िता के साथ जबरन शारीरिक सम्बन्ध बनाया था या नहीं। इस प्रकार परीक्षण रिपोर्ट के आधार पर यह नहीं माना जा सकता कि जिस व्यक्ति का वीर्य/शुक्राणु पीड़िता के प्राइवेट पार्ट पर पाया गया, वह अभियुक्त का ही था। अतः उक्त

एफ०एस०एल० रिपोर्ट के आधार पर अभियुक्त को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है।

41– इस प्रकार पत्रावली पर जो भी साक्ष्य अभियोजन की ओर से प्रस्तुत किया गया है उक्त किसी भी साक्ष्य से यह साबित नहीं होता है कि अभियुक्त ने कथित तिथि, कथित समय व कथित स्थान पर पीड़िता के साथ छलकपट करके यौन सम्बन्ध स्थापित किया हो।

42– इस प्रकार अभियोजन पक्ष विनिश्चयात्मक बिन्दु सं०–1 को अपने पक्ष में साबित करने में असफल रहा है। अतः विनिश्चयात्मक बिन्दु सं०–1 अभियोजन के विरूद्ध निस्तारित किया जाता है।

43– इस प्रकार अभियोजन की ओर से पत्रावली पर वादिनी मुकदमा की मृत्यु हो जाने का कारण उसे न्यायालय में साक्षी के रूप में प्रस्तुत नही किया गया है। तथ्य के जो भी साक्षी पत्रावली पर प्रस्तुत किये है, उनके साक्ष्य से इस तथ्य की पुष्टि नहीं होती है कि अभियुक्त राहुल अग्रवाल ने कथित तिथि, कथित समय व कथित स्थान पर पीड़िता के साथ छलकपट करके यौन सम्बन्ध स्थापित किया हो। इसके अलावा अभियुक्त राहुल अग्रवाल ने अपने बयान अं०धारा 351 BNSS के बयान में घटना को असत्य बताया है तथा स्वयं को निर्दोष बताया है।

44– अभियोजन के साक्षियों के बयान में विभिन्न विसंगतिया व असमानताएं है।

45– विधि व्यवस्था **रमेश हरिजन बनाम उ०प्र० राज्य** (2012)5 **एस०सी०सी०** तथा **सी0 मुनिअप्पन बनाम स्टेट आफ तमिलनाडु** 2010(6)एसी०जे० **822** के वादों मे माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अभिमत दिया गया है कि साधारण, प्राकृतिक व सूक्ष्म विरोधाभाष को न्यायालय ध्यान में रखकर गवाहों की विश्वसनीयता को कोई विपरीत मत निकालेगा परन्तु यदि विरोधाभाष गंभीर हो और मूल तथ्य से सम्बन्धित हो तो न्यायालय उस पर अवश्य ही ध्यान देगा।

46– विधि व्यवस्था **अशोक कुमार चौधरी बनाम बिहार राज्य 2008** (61) **एस०सी०सी०** 972(एस०सी०) तथा **कुलविन्दर सिंह बनाम पंजाब राज्य ए०आई०आर० 2007 एस०सी० 2868** के वादों में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अभिमत दिया गया है कि यदि तथ्य के गवाह के साक्ष्य में गंभीर विरोधाभाष और अविश्वसनीयता प्रकट हो तो उसका साक्ष्य विश्वसनीय नहीं रह जाता।

47– विधि व्यवस्था **एम०एस०राय बनाम पंजाब राज्य** (2003)12 **एस०सी०सी० 337** के वाद में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अवधारित किया है कि केवल संभावना या संदेह के आधार पर किसी व्यक्ति को सजा नहीं दी जा सकती।

48– विधि व्यवस्था **विशनदास बनाम पंजाब राज्य ए०आई०आर० 1975 एस०सी० 573** के वाद में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभिमत दिया है कि अभियोजन को अपना केस स्वयं साबित करना होगा। अभियुक्त की कमियों का लाभ अभियोजन को नहीं दिया जा सकता।

49– उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों एवं उपरोक्त विधि व्यवस्थाओं में दिये गये अभिमत को दृष्टिगत रखते हुए यह निष्कर्ष निकलता है कि अभियोजन के गवाहान के साक्ष्य में विभिन्न विसंगतिया है और उनके साक्ष्य से अभियोजन कथानक की

पुष्टि नहीं होती है।

50— इस प्रकार विनिश्चयात्मक बिन्दु सं0—1 के निस्तारण के अन्तर्गत दिये गये विश्लेषण, तर्कों तथा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विभिन्न विधि व्यवस्थाओं में दिये गये अभिमत को दृष्टिगत रखते हुए यह निष्कर्ष निकलता है कि अभियोजन पक्ष अभियुक्त राहुल अग्रवाल पर लगाये गये आरोप अं०धारा—69 बी०एन०एस० को युक्ति युक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है। अतः अभियुक्त राहुल अग्रवाल प्रस्तुत प्रकरण में दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

आदेश

सत्र परीक्षण सं०—251/2025, मु०अ०सं०—125/2025 थाना गोला, जिला लखीमपुर खीरी के प्रकरण में अभियुक्त राहुल अग्रवाल को धारा—69 बी०एन०एस० के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

अभियुक्त जमानत पर है, उसके जमानतनामें निरस्त किए जाते है एवं जमानतदारों को उनके दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है।

अभियुक्त द्वारा धारा 437—ए दं0 प्र0 सं0 के अनुपालन में दाखिल की गयी जमानत एवं बन्धपत्र छः माह तक प्रभावी रहेंगे।

यहां यह उल्लेखनीय है कि प्रस्तुत प्रकरण में विवेचक द्वारा अभियुक्त के वीर्य/शुक्राणु का सैम्पल लेकर कोई वैज्ञानिक परीक्षण नहीं कराया गया है और न ही उक्त वीर्य/शुक्राणु की डी०एन०ए० रिपोर्ट तैयार किये जाने के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की गयी है। इसके अलावा पीड़िता के प्राइवेट पार्ट पर जो मानव वीर्य/शुक्राणु पाया गया था, उसकी भी डी०एन०ए० रिपोर्ट तैयार किये जाने के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की गयी। जिस कारण पीड़िता के प्राइवेट पार्ट पर पाये गये मानव वीर्य/शुक्राणु के डी०एन०ए० का मिलान अभियुक्त के वीर्य/शुक्राणु के डी०एन०ए० से नहीं किया जा सका है और यह सुनिश्चित नही किया जा सका कि पीड़िता के प्राइवेट पार्ट पर जो मानव वीर्य/शुक्राणु पाया गया, वह अभियुक्त का था या नहीं, जो कि घोर आपत्तिजनक है। अतः इस सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक लखीमपुर खीरी तथा डी०जी०पी० लखनऊ को पत्र तथा निर्णय की प्रति प्रेषित करते हुए यह सुनिश्चित किया जाये कि ऐसे जघन्य प्रकृति के अपराधों में आइन्दा इस प्रकार की लापरवाही न की जाये तथा जिन पुलिस अधिकारियों द्वारा ऐसी लापरवाही की जा रही है उनके विरुद्ध उचित कार्यवाही की जाये।

दिनांक 22—07—2026

(मनोज कुमार सिंह—द्वितीय)
अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0—2
लखीमपुर—खीरी।
J.O. Code— UP06367

निर्णय आज मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके सुनाया गया।

दिनांक 22—07—2026

(मनोज कुमार सिंह—द्वितीय)
अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0—2
लखीमपुर—खीरी।
J.O. Code— UP06367

Digitally signed by MANOJ KUMAR SINGH
Date: 2026.07.22 16:29:09 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court